अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए निर्देशों एवं विवरणिका को पढ़ना आवश्यक है–

1. प्रवेश के पश्चात विद्यार्थियों को विवरणिका में उल्लेखित नियमों के अनुसार आचरण करना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत सी.बी.सी.एस. (Choice Based Credit System) प्रणाली लागू है। विद्यार्थी निम्नलिखित कोर्स/विषय संयुक्तियों में से नियमानुसार कोर्स/विषय समूह का चयन कर सकता है।

कला संकाय (बी.ए.) : निम्न कोर्स/विषय समूह उपलब्ध है। प्रत्येक ग्रुप से केवल एक विषय लिया जा सकता है–

ग्रुप 'ए'– समाजशास्त्र/भूगोल/मनोविज्ञान/रक्षा अध्ययन/गृहविज्ञान/शारीरिक शिक्षा/कम्प्यूटर एप्लिकेशन

ग्रुप 'बी'– प्राचीन इतिहास/इतिहास/अंग्रेजी/संस्कृत/गणित

ग्रुप 'सी'– राजनीतिशास्त्र/अर्थशास्त्र/हिन्दी/शिक्षाशास्त्र

बी.ए. भाग 3 में पढ़े गये तीनों विषयों में से कोई दो विषय/कोर्स पढ़ना होगा।

विज्ञान संकाय (बी.एस–सी.) : निम्नलिखित कोर्स/विषय/ग्रुप में से कोई एक ही कोर्स/विषय/ग्रुप लिया जा सकता है।

ग्रुप 'ए'– गणित एवं भौतिकी के साथ रसायनशास्त्र, रक्षा अध्ययन, भूगोल, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर सांइस में से कोई एक

ग्रुप 'बी'– गणित एवं सांख्यिकी के साथ भौतिकी, रक्षा अध्ययन, भूगोल, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर सांइस में से कोई एक

ग्रुप 'सी' – प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान, रक्षा अध्ययन, भूगोल, मनोविज्ञान में से कोई एक

बी.एस–सी. भाग 3 में पढ़े गये तीनों विषयों में से कोई दो विषय/कोर्स पढ़ना होगा।

वाणिज्य संकाय (बी.काम.) – महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.काम पाठ्यक्रम उपलब्ध है। पाठ्यक्रम में प्रवेश की अहर्ता 10+2 उत्तीर्ण होगी। विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु विवरणिका देखें।

बी.सी.ए. – महाविद्यालय में वर्तमान सत्र से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम भी संचालित है। पाठ्यक्रम में प्रवेश की अहर्ता 10+2 उत्तीर्ण होगी। विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु विवरणिका देखें।

बी.एड्. – महाविद्यालय में बी.एड्. विभाग के अन्तर्गत सी.बी.सी.एस. प्रणाली के आधार पर बी.एड्. पाठ्यक्रम संचालित है। बी.एड्. पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

3. किसी भी कक्षा में प्रवेश के समय उसके पूर्व कक्षा की स्थाई अंकतालिका ही स्वीकार की जायेगी। विद्यार्थी का प्रवेश साक्षात्कार के द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर होगा। साक्षात्कार हेतु उसके पूर्व कक्षा की स्थाई अंकतालिका के श्रेष्ठता क्रम में बुलाया जायेगा। उक्त श्रेष्ठता सूची में नाम होने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा की अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह है।
4. व्यावसायिक वर्ग से इण्टरमीडिएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होगी, इसमें प्रायोगिक अंक सम्मिलित नहीं होंगे। यू.पी. बोर्ड एवं केन्द्रीय बोर्ड के प्राप्तांकों में समानता लाने हेतु समान स्तर का सिद्धांत लागू किया जा सकता है।
5. एक संकाय में प्रवेश हेतु पंजीकृत आवेदन–पत्र किसी भी दशा में अन्य संकाय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी एक ही साथ कई संकायों में प्रवेश हेतु आवेदन करना चाहें तो अलग–अलग संकायों के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।

6. भूगोल विषय का चयन वे सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने इण्टर में भूगोल पढ़ा हो अथवा इण्टर परीक्षा विज्ञान या कृषि से उत्तीर्ण किया हो।
7. परास्नातक (कला / विज्ञान / वाणिज्य) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
8. परास्नातक (कला / विज्ञान / वाणिज्य) प्रथम सेमेस्टर के जिस विषय में प्रवेश लेना चाहते है वह विषय स्नातक कक्षा में अभ्यर्थी द्वारा पढ़ा गया होना अनिवार्य है।
9. सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सरकार एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। प्रबन्ध समिति के द्वारा महाविद्यालय हित में तय किये गये आरक्षण भी मान्य होगे।
10. साक्षात्कार हेतु श्रेष्ठता सूची 09 जुलाई को महाविद्यालय के सूचना पट्ट, वेबसाइट पर तथा प्रवेश हेतु आवेदकों के बनाये गए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रकाशित कर दी जायेगी। प्रवेश 11 जुलाई से प्रारम्भ होगा।
11. श्रेष्ठता सूची में घोषित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।
12. प्रवेश साक्षात्कार के द्वारा छात्र के मूल्यांकन के आधार पर होगा। साक्षात्कार हेतु इण्टरमीडिएड परीक्षा प्राप्तांक के श्रेष्ठता क्रम में बुलाया जायेगा। उक्त श्रेष्ठता सूची में नाम होने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा कि छात्र प्रवेश हेतु अर्ह है।
13. साक्षात्कार के पश्चात चयनित अभ्यर्थी यदि उसी दिन निर्धारित शुल्क जमा नहीं करते हैं तो प्रवेश के लिये उसका चयन निरस्त माना जायेगा।
14. कोई भी संस्थागत छात्र सम्बन्धित सत्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा की अन्तिम तिथि तक ही संस्था का छात्र माना जायेगा।
15. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लिया गया शुल्क किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न हो तो समायोजित होगा और न ही वापस होगा। प्रत्येक छात्र / छात्रा को उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि की रसीद दी जायेगी।
16. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय परिचय पत्र को अनिवार्य गले में पहने रहे। जब तक महाविद्यालय परिसर में रहें, तक तब परिचय पत्र को गले में ही धारण किये रहें। बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश निषेध रहेगा।
17. प्रत्येक छात्र / छात्रा को प्रति वर्ष परिचय पत्र में उनकी चरित्र पंजिका दी जायेगी। जिसमें उनकी उपलब्धियों, व्यवहार, उपस्थिति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य सामाजिक गतिविधियों का प्रमाणिक विवरण होगा। उक्त चरित्र पंजिका को छात्र / छात्रा कहीं भी प्रमाण–पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
18. विवरणिका तथा नियमावली में आकस्मिक संशोधन तथा परिवर्तन का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।

- **ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को 11 जुलाई से प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। प्रवेश के समय उन्हें परिचय पत्र, पुस्तकालय कार्ड, समय–सारणी एवं चरित्र पंजिका प्रवेश स्वीकृति के बाद प्रदान की जायेगी।**